single rupee is being paid as royalty to the State Government or to the fishermen to compensate. The full kitty goes to the Centre.

Sir, in the tender prospectus, Kollam Coast Block is described as rich in construction sand. But everybody in Kollam knows that it is not ordinary sand; it is the sand rich in minerals and it is priceless. The coastal line of Kerala is about 590 km and more than 10 lakh fishermen are living in the coastal area. Deep mining will destroy the ecosystem. It will destroy marine habitat and fish breeding and will have a devastating impact on the State seafood industry. I have given a presentation or submission for fishermen...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, तीन मिनट के बाद का अंकित नहीं होता है।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Jose K. Mani: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Abdul Wahab (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala) and Shri P.P. Suneer (Kerala).

श्री प्रदीप कुमार वर्मा।

Demand to include Kurmali, Mundari, Nagpuri and Ho languages of Jharkhand in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री प्रदीप कुमार वर्मा (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य की कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी 2022 को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'मन की बात' में कहा था कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान-पान को लेकर एक संकोच होता है, जब कि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषायी एवं सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन 'उलगुलान' की भाषा भी मुंडारी थी, जिसकी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह भाषा मुंडा समुदाय की पहचान है, जिनका झारखंड के इतिहास और

संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'हो' भाषा सिंहभूम क्षेत्र में विशेष रूप में बोली जाती है और इसके बोलने वाले 'हो' जनजाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी तरह कुड़माली भाषा का संबंध पश्चिमी बंगाल एवं झारखंड के राढ़ सिविलाइजेशन से है। कुड़माली भाषा झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। नागपुरी भाषा भी झारखंड की राजधानी सहित पूरे राज्य में व्यापक रूप से संवाद की मूल भाषा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत भी स्थानीय भाषाओं का स्कूली शिक्षा में प्रयोग व्यापक रूप से हो - ऐसा आग्रह किया गया है। इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न किए जाने से इनका उस स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुड़माली, मुंडारी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं अध्ययन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना और अनुदान प्रदान किए जाएं, जिससे इनका विकास हो सके।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Pradip Kumar Varma : Shrimati Rekha Sharma (Haryana),Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, प्रदीप जी। श्रीमती दर्शना सिंह।

Need for Government interventions and legislations for regulating AI-generated deepfake videos

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं इस सदन में आपके माध्यम से डीपफेक तकनीक के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूँ।

महोदय, आज के युग में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और तकनीक पर हमारी निर्भरता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तकनीक जहां हमारे जीवन को आसान बनाने में सहयोग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे कभी-कभी कुछ गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। महोदय, कुछ लोग इस तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी जानकारी देकर समाज को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, जिससे कभी-कभी लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है।